प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ :दिनांक: 06 नवम्बर, 2018

विषय :राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 25 नवम्बर, 2018 से 02 दिसम्बर, 2018 तक तथा विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 से 15 दिसम्बर, 2018 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

शासनादेश संख्या-100/2018/1176(4)/छप्पन-2018-40/17 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 25 नवम्बर, 2018 से 02 दिसम्बर, 2018 तक तथा विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 से 15 दिसम्बर, 2018 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 11390 यूरो रू0 85/- प्रति यूरो की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 19,36,300/- (रूपए उन्नीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ मात्र) (प्रति पायलट प्रशिक्षण शुल्क रू0 9,68,150/-) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,42,100/- (रूपए पॉच लाख बयालीस हजार एक सौ मात्र) (रू0 2,71,050/- प्रति पायलट की दर से) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 24,78,400/- (रूपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निदेशक, नागरिक उड्डयन ने अपने पत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 में प्रस्ताव किया है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति तत्समय विद्यमान विनिमय दर (रू0 85/- प्रति यूरो) के अनुसार प्रदान की गई थी। वर्तमान में भारतीय मुद्रा प्रति यूरो लगभग रू0 88/- हो गई है। इस प्रकार यूरो रूपए की विनिमय दर में परिवर्तन के फलस्वरूप उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018 में

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कतिपय संशोधनों की आवश्यकता है। अतः श्री राज्यपाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई विनिमय दर रूपए 88/- प्रति यूरो के अनुसार राजकीय हेलीकाप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सुनील कौरा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 25 नवम्बर, 2018 से 02 दिसम्बर, 2018 तक तथा विंग कमां0 जी0एस0 पड्डा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 से 15 दिसम्बर, 2018 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली में सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 11390 यूरो रू0 88/- प्रति यूरो की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 20,04,640/- (रूपए बीस लाख चार हजार छः सौ चालीस मात्र) (प्रति पायलट प्रशिक्षण शुल्क रू0 10,02,320/-) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,52,960/- (रूपए पॉच लाख बावन हजार नौ सौ साठ मात्र) (रू0 2,76,480/- प्रति पायलट की दर से) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 25,57,600/- (रूपए पच्चीस लाख सत्तावन हजार छः सौ मात्र) के व्यय हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश संख्या-100/2018/1176(4)/छप्पन-2018-40/17 दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3- उक्त अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड, इटली को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय की दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि के भुगतान के समय रूपया एवं यूरो के विनिमय दर की निरन्तर परिवर्तनशीलता के अनुसार भुगतान की धनराशि सुनिश्चित किया जाएगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-982/दस-2018] दिनांक 05 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या: 110/2018/1978(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी)] उ0प्र0] इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी] जवाहर भवन] लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2] वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार] नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स] मंत्रालय] नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।